मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन
भोपाल – 462004

अत्यावश्यक

क्रमांक 7109/22/वि–9/आरजीएम/2011 **भोपाल, दिनांक 19/04/2011**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचातय – समस्त
जिला – समस्त

विषय : सहयोगी स्वयंसेवी संगठन इकाई (पार्टनर एनजीओ) के लिए चयन प्रक्रिया के सक्रियता से पालन के संबंध में।

संदर्भ : 1. पत्र क्रमांक 6814/22/वि–9/आरजीएम/2010 भोपाल, दिनांक 26.05.2010
2. पत्र क्रमांक 16195/22/वि–9/आरजीएम/2010 भोपाल, दिनांक 29.11.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से पार्टनर एनजीओ के लिए चयन प्रक्रिया के पुनः निर्धारण संबंधी दिशा–निर्देश आपकी ओर भेजे गये थे। जिसके बिन्दु क्रमांक–15 व 16 के अनुसार आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि एनजीओ से जिला स्तर पर प्राप्त सभी प्रस्तावों को नवीन मापदण्ड के अनुसार परीक्षण के उपरान्त पार्टनर एनजीओ के रूप में संस्थाओं की स्क्रीनिंग कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा। तत्पश्चात प्राथमिक रूप से पात्र संस्थाओं की सूची कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संयुक्त अभिमत से मिशन मुख्यालय को अंतिम चयन हेतु प्रेषित की जावेगी। जिला पंचायत की अनुशंसा के साथ–साथ यह भी आवश्यक होगा कि एनजीओ द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का प्रमाणीकरण कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अनिवार्यतः किया जाये। तत्पश्चात ही इसे मिशन मुख्यालय को भेजा जाये।

उपरोक्त प्रक्रिया को सुचारू रूप से निष्पादित करने हेतु स्पष्टिकरण की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः संदर्भित मापदण्डों को निम्नानुसार स्पष्ट कर पुनः भेजा जा रहा है। **यह निर्देश विभिन्न स्तरों पर लम्बित व भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर लागू होंगे।**

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया पार्टनर एनजीओ के प्रस्तावों का परीक्षण व तथ्यों का प्रमाणीकरण निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र	विषय वस्तु	परीक्षण के बिन्दु	परीक्षण की प्रक्रिया
1	संस्था का कार्यानुभव	• प्राकृतिक संसाधनों/जल प्रबंधन/ जलग्रहण प्रबंधन, आजीविका विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक उत्थान, सामुदायिक संगठन, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह आदि के क्षेत्र में कार्यानुभव से संबंधित तथ्यों का परीक्षण। • इस संबंध में संस्था द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने का कम से कम 06 (छः) माह/180 दिन का अनुभव ही मान्य किया जावे। इस प्रकार से विगत तीन वर्षों में अर्जित	• सस्था द्वारा जिन जिलों में कार्य सम्पादित किया गया है ऐसे समस्त जिलों के कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से **प्रपत्र–1** अनुसार संस्था के कार्यों के संबंध में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावे। • संस्था द्वारा स्थानीय जिले में सम्पादित कार्यों के प्रमाणीकरण हेतु

		अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। ● संस्था द्वारा क्रियान्वित शासकीय परियोजनायों अथवा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों का अनुभव ही मान्य किया जावे।	संबंधित जिले के कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा कार्य परीक्षण कर प्रमाणीकरण किया जाएगा। ● राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों के कार्यानुभव संबंधी प्रमाण–पत्र संबंधित संस्थान के राज्य प्रमुख से प्राप्त किया जावेगा।
2	वार्षिक प्रतिवेदन	● प्राकृतिक संसाधनों/जल प्रबंधन/जलग्रहण प्रबंधन, आजीविका विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक उत्थान, सामुदायिक संगठन, प्रशिक्षण, स्वयं–सहायता समूह आदि क्षेत्रों में किये गये कार्यों का आंकलन किया जावे।	● विगत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करें। ● **प्रपत्र–2** अनुसार संस्था के विगत तीन वर्षों के इतिहास, कार्यप्रणाली व सामर्थ्य और सम्पादित कार्यों का समाज पर प्रभाव आदि का आंकलन किया जावे।
3	ऑडिट रिपोर्ट	● संस्था द्वारा विगत वर्षों में सम्पादित कार्यों पर किये गये खर्च व प्राप्ति को ज्ञात किया जा सके।	● प्रस्ताव के साथ संलग्न संस्था के विगत तीन वर्षों के ऑडिट रिपोर्ट का मिलान **प्रपत्र–3** के अनुसार उनके पिछले तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ किया जावे।
4	विषय विशेषज्ञ	● एनजीओ द्वारा प्रस्तुत विषय विशेषज्ञों की जानकारी का तथ्य पूर्ण परीक्षण किया जाना चाहिए। ● संबंधित विषय विशेषज्ञों को जल संरक्षण एवं संवर्धन, आजीविका विकास, सामूदायिक संगठन एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में विशिष्टता होना अनिवार्य है। ● संबंधित विषय विशेषज्ञ स्वस्थ्य व कार्यशील होने चाहिए तथा उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। सेवा निवृत्त शासकीय अधिकारी होने की दशा में उन्हें द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होना अनिवार्य है। ● संस्था के पास जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विषय विशेषज्ञों का कार्य करने संबंधी सहमति–पत्र का होना आवश्यक है।	● विशेषज्ञों की शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव एवं संस्था के साथ कार्य करने की सहमति आदि संदर्भित मापदण्ड व जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप है इसकी जांच की जावे। ● सेवा निवृत्त द्वितीय श्रेणी शासकीय अधिकारी होने की दशा में सेवा निवृत्ती संबंधि दस्तावेजों की जांच की जावे। ● संबंधित विषय विशेषज्ञ के बायो डेटा का परीक्षण **प्रपत्र–4** के अनुसार किया जावे व उनके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में दिये गये सहयोग, मार्गदर्शन अथवा परामर्श संबंधि दस्तावेजों का परीक्षण किया जावे।

5	विषय विशेषज्ञों की व्यवसायिक योग्यता	• (1) सिविल अभियांत्रिकी/कृषि अभियांत्रिकी (2) कृषि/उद्यानिकी/वानिकी/मृदा विज्ञान /मृदा संरक्षण/पर्यावरण विज्ञान/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (3) भू–गर्भ शास्त्र/भूजल विज्ञान (4) सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र /सामाजिक संगठन/ग्रामीण विकास व प्रबंधन/ आजीविका प्रबंधन एवं (5) लेखा संधारण व कार्यालयीन प्रबंधन, में शैक्षणिक योग्यता व व्यवसायिक डिग्री तथा दो वर्ष का अनुभव रखने वाले कम से कम चार विषय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल करना होगा।	• संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह आंकलन किया जाये कि संबंधित कर्मचारियों को संस्था द्वारा उनकी सेवाओं के लिए कितना व किस अवधि के लिए मानदेय दिया गया है। **प्रपत्र–5**
6	सम्पादित प्रमुख परियोजनाऐ	• संस्था द्वारा सम्पादित प्रमुख परियोजनाओं, विशिष्ट उपलब्धियों व शासकीय परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण किया जाना चाहिए। • संस्था द्वारा सम्पादित प्रमुख परियोजनाओं के लिए कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के राज्य प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य किया जावे।	• इस हेतु कार्य आदेश/स्वीकृति आदेश/प्रमाण–पत्र/प्रशस्ती पत्र आदि दस्तावेजों का अनिवार्यतः परीक्षण कर **प्रपत्र–6** अनुसार प्रमाणित किया जाना चाहिए। • इन कार्यों का आंकलन संस्था द्वारा प्रस्तुत विगत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन व ऑडिट रिपोर्ट से अनिवार्यतः किया जावे। • विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी को एनजीओ द्वारा सम्पादित कार्यों व उनका समाज पर प्रभाव आदि का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र भ्रमण हेतु निर्देशित किया जावे।
7	स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक सम्पादित परियोजनाऐं	• संस्था द्वारा **स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक** सम्पादित प्रमुख परियोजनाओं, विशिष्ट उपलब्धियों व शासकीय परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण किया जाना चाहिए। • संस्था द्वारा सम्पादित प्रमुख परियोजनाओं के लिए कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के राज्य प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य किया जावे।	• इस हेतु कार्य आदेश/स्वीकृति आदेश/प्रमाण–पत्र/प्रशस्ती पत्र आदि दस्तावेजों का अनिवार्यतः परीक्षण कर **प्रपत्र–7** अनुसार प्रमाणित किया जाना चाहिए। • इन कार्यों का आंकलन संस्था द्वारा प्रस्तुत विगत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन व ऑडिट रिपोर्ट से अनिवार्यतः किया जावे। • विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी को एनजीओ द्वारा सम्पादित कार्यों व उनका समाज पर प्रभाव आदि का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र भ्रमण हेतु निर्देशित किया जावे।

8	जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन	• संस्था द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन संबंधी गतिविधियों/कार्यक्रम/परियोजनाओं का परीक्षण किया जाना चाहिए।	• संस्था द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का परीक्षण कर **प्रपत्र–8** अनुसार प्रमाणीकरण किया जावे।
9	स्थानीय कार्यालय	• स्थानीय कार्यालय का परीक्षण किया जावे।	• संस्था के स्थानीय कार्यालय पर जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जावे। **प्रपत्र–9**
10	कार्यकारणी व साधारण सभा	• संस्था की कार्यकरिणी व साधारण सभा की बैठकों के कार्यवाही विवरण का परीक्षण किया जावे।	• सुनिश्चित किया जावे कि इनमें संस्था द्वारा सम्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं का उल्लेख व अनुमोदन किया गया है। **प्रपत्र–10**

कृपया विभिन्न स्तरों पर लम्बित व भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों में प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजों का बारीकी से नवीन मापदण्ड व उपरोक्त स्पष्टिकरण के अनुसार पूर्णतः परीक्षण उपरान्त प्रमाणीकरण के साथ समस्त मापदण्डों को पूर्ण करने वाली संस्थाओं के लिए संलग्न प्रपत्रों में प्रमाण–पत्र जारी कर मूल प्रस्ताव के साथ मिशन मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में भी इसी प्रक्रिया का पालन कर प्रमाणीकरण के साथ पात्र संस्थाओं के प्रस्ताव ही मिशन मुख्यालय को प्रेषित किये जावे।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

संलग्न : उपरोक्तानुसार प्रपत्र 01 से 10 ।

(उमाकांत उमराव)
अपर सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. /22/वि–9/आरजीएम/2011 भोपाल, दिनांक /04/2011

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला – समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

अपर सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

प्रपत्र–1

संस्था का कार्यानुभव

संस्था का नाम :–

क्र	कार्य/परियोजना का नाम	कार्य का प्रकार शासकीय/गैरशासकीय	स्वीकृतकर्ता व स्वीकृति दिनांक	लागत	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	अनुभव प्रमाण–पत्र प्रदायकर्ता

टीप : राष्ट्रीय व अतंर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र, ऐसी संस्थानों के राज्य प्रमुख से इस प्रपत्र में प्राप्त किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....

प्रपत्र–2

वार्षिक प्रतिवेदन

संस्था का नाम :–

प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन के वर्ष	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार शासकीय/गैरशासकीय	स्वीकृतकर्ता व स्वीकृति दिनांक	परियोजना क्षेत्र	लागत	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	लाभार्थी

(**टीप** : यह प्रमाण पत्र संबंधित जिलों से प्राप्त कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाना है।)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा उपरोक्त तालिका में दर्शाऐ गए समस्त कार्य विगत तीन वर्षों में किये गये हैं। जिनका परीक्षण संस्था द्वारा प्रस्तुत विगत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन से किया गया है। परियोजना क्षेत्र में संस्था द्वारा सम्पादित कार्यों का निम्नानुसार प्रभाव पड़ा है उपरोक्त क्षेत्रों में कार्य करने का संस्था का लम्बा अनुभव व पारदर्शी कार्य प्रणाली रही है :–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....

प्रपत्र–3

ऑडिट रिपोर्ट

संस्था का नाम :–

क्र	प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट के वर्ष	प्राप्ति	व्यय	लाभ/हानि	प्रमुख कार्य	ऑडिट में उल्लेखित त्रुटि का विवरण

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....

प्रपत्र–4

विषय विशेषज्ञ

संस्था का नाम :–

क्र	विशेषज्ञ का नाम	आयु	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव (वर्षो में)	अनुभव का प्रकार शासकीय परियोजना/अशासकीय परियोजना	विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में दिये गये मार्गदर्शन संबंधी प्रमाण	संस्था के साथ कार्य करने हेतु सहमति पत्र

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....

प्रपत्र–5

विषय विशेषज्ञों की व्यवसायिक योग्यता

संस्था का नाम :–

क्र	विशेषज्ञ का नाम	आयु	व्यवसायिक योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव (वर्षो में)	संस्था में कार्य की अवधि	मानदेय प्रतिवर्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....

प्रपत्र–6

सम्पादित प्रमुख परियोजनाऐं

संस्था का नाम :–

क्र	परियोजना का नाम	कार्य क्षेत्र	वित्त पोषण शासकीय/अशासकीय	स्वीकृति दिनांक	समाप्ति दिनांक	लागत	स्वीकृति पत्र की उपलब्धता हाँ/नहीं	विशिष्ट उपलब्धि	ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख हाँ/नहीं	कार्य सम्पादन हेतु जारी प्रमाण पत्र	
										जारीकर्ता	दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....

प्रपत्र–7

स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक सम्पादित परियोजनाओं का प्रमाणीकरण

संस्था का नाम :–

क्र	परियोजना का नाम	कार्य क्षेत्र	वित्त पोषण शासकीय/अशासकीय	स्वीकृति दिनांक	समाप्ति दिनांक	लागत	स्वीकृति पत्र की उपलब्धता हाँ/नहीं	विशिष्ट उपलब्धि	ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख हाँ/नहीं	सफलतापूर्वक सम्पादित परियोजनाओं के संबंध में जारी प्रमाण पत्र	
										जारीकर्ता	दिनांक

टीप :– यह प्रमाण–पत्र पृष्ठ कमांक–3 के बिन्दु कमांक–7 के संदर्भ में संस्था द्वारा स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक सम्पादित परियोजनाओं के लिए ही दिया जावे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....

प्रपत्र–8

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन

संस्था का नाम :–

क्र	परियोजना का नाम	कार्य क्षेत्र	स्वीकृति दिनांक	समाप्ति दिनांक	लागत	स्वीकृति पत्र की उपलब्धता	विशिष्ट उपलब्धि	ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....

प्रपत्र–9

स्थानीय कार्यालय

1. संस्था का नाम : .....
2. स्थानीय कार्यालय का पता : .....

   .....
3. क्षेत्रफल : .....
4. प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल : .....
5. कार्यालय का छायाचित्र : .....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....

कार्यकारणी व साधारण सभा

1. संस्था का नाम : .....
2. कार्यकारणी व साधारण सभा के कार्यवाही विवरण की उपलब्धता : .....

   .....
3. गत वर्ष की गई कार्यकारणी बैठकों की संख्या व बैठकों में उपस्थिति : .....
4. कार्यवाही विवरण का कार्यकारी सदस्यों द्वारा प्रमाणीकरण : .....
5. कार्यवाही विवरण में सम्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं का उल्लेख : .....
6. विगत तीन वर्षों के ऑडिट स्टेटमेन्ट, वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकारणी के कार्यवाही विवरण में क्रियान्वित गतिविधियों में समानता पाई गई हॉ/नहीं : .....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिलाधीश
जिला .....